



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

8 चैत्र 1941 (श10)
(सं० पटना 507) पटना, शुक्रवार, 29 मार्च 2019

वाणिज्य-कर विभाग

अधिसूचना
29 मार्च 2019

अधिसूचना संख्या. 9/2019- राज्य कर (दर)

एस० ओ० 75 ,दिनांक 29 मार्च 2019—बिहार माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) (एतश्मिन पश्चात् जिसे “उक्त अधिनियम” से संदर्भित किया गया है) की धारा 9 की उप धारा (1), धारा 11 की उप धारा (1) और धारा 16 की उप धारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बिहार राज्यपाल, जीएसटी परिषद् की सिफारिशों के आधार पर और इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, एतद् द्वारा, वाणिज्य-कर विभाग की अधिसूचना संख्या 02/2019—राज्य कर (दर), दिनांक 07 मार्च, 2019, जिसे बिहार गजट असाधारण अंक संख्या-340, दिनांक 07 मार्च, 2019 द्वारा प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, यथा :-

उक्त अधिसूचना में,—

(i) सारणी में, कॉलम (3) में, खंड 7 के पश्चात्, निम्नलिखित खंड का समावेश किया जाएगा, यथा:—

“8. जहाँ कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जिसने इस अधिसूचना के अधीन इनपुट कर प्रत्यय का संदाय करने के विकल्प का उपयोग किया है वह इलेक्ट्रॉनिक निवेश खाते या इलेक्ट्रॉनिक नगद खाते में, विकलन द्वारा ऐसी रकम का संदाय करेगा, जो स्टॉक में धारित निवेशों और स्टॉक में धारित अर्ध परिरूपित या परिरूपित माल में अंतर्विष्ट निवेशों के संबंध में और पूंजी माल पर जैसा कि इस अधिसूचना के तहत की गई आपूर्ति, उक्त अधिनियम की धारा 18(4) और उसके तहत बनाए गए नियम के प्रावधानों को आकर्षित करती हो तथा ऐसी रकम का संदाय करने के पश्चात्

उसके इलेक्ट्रॉनिक प्रत्यय खाते में पड़ा हुआ इनपुट पर प्रत्यय का अतिशेष, यदि कोई हो, व्यपगत हो जाएगा।”।

(ii) पैराग्राफ 3 में, स्पष्टीकरण में खंड (ii) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड का समावेश किया जाएगा, यथा :—

“(iii) बिहार माल और सेवा कर नियमावली, 2017, जो कि ऐसे व्यक्ति पर लागू होती है जो कि उक्त अधिनियम की धार 10 के अन्तर्गत कर का भुगतान कर रहा हो, यथा आवश्यक परिवर्तनों सहित, ऐसे व्यक्ति पर भी लागू होगी जो कि इस अधिसूचना के अंतर्गत कर का भुगतान कर रहा हो।”।

2. यह अधिसूचना दिनांक 01 अप्रैल, 2019 से लागू होगी।

[(सं० बिक्री-कर/जीएसटी/विविध-21/2017 (खंड-5) 09)]

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
डॉ० प्रतिमा,
राज्य कर आयुक्त-सह-सचिव।

29 मार्च 2019

एस० ओ० 75, दिनांक 29 मार्च 2019 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जाय।

[(सं० बिक्री-कर/जीएसटी/विविध-21/2017 (खंड-5) 09)]

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
डॉ० प्रतिमा,
राज्य कर आयुक्त-सह-सचिव।

The 29th March 2019

Notification no. 09/2019- State Tax (Rate)

S.O. 75, Dated 29th March 2019—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 9, sub-section (1) of section 11, sub-section (1) of section 16 of the Bihar Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017) (herein after referred to as the “said Act”), the Governor of Bihar, on the recommendations of the Council, and on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following amendments in the Commercial Taxes Department notification No. 02/2019- State Tax (Rate), dated the 7th March, 2019, published in the Bihar Gazette *vide* number 340, dated the 7th March, 2019, namely:-

In the said notification, -

(i) in the Table, in column 3, after clause 7, the following clause shall be inserted, namely: -

“8. Where any registered person who has availed of input tax credit opts to pay tax under this notification, he shall pay an amount, by way of debit in the electronic credit ledger or electronic cash ledger, equivalent to the credit of input tax in respect of inputs held in stock and inputs contained in semi-finished or finished goods held in stock and on capital goods as if the supply made under this notification attracts the provisions of section 18(4) of the said Act and the rules

made there-under and after payment of such amount, the balance of input tax credit, if any, lying in his electronic credit ledger shall lapse.”;

(ii) in paragraph 3, in the Explanation, after clause (ii), the following clause shall be inserted, namely: -

“(iii) the Bihar Goods and Services Tax Rules, 2017, as applicable to a person paying tax under section 10 of the said Act shall, *mutatis mutandis*, apply to a person paying tax under this notification.”.

2. This notification shall come into force on the 1st day of April, 2019.

[(File No. Bikri kar/GST/vividh-21/2017 (Part-5) 09)]

By the order of Governor of Bihar,

Dr. Pratima,

Commissioner State Tax-cum-Secretary.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 507-571+10-डी0टी0पी0।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>